अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है । वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2000-2001	संशोधित अनुमान 2000-2001	बजट अनुमान 2001-2002
क. ऋण*	**9129.23**	**10494.77**	**11463.10**
ख. नकद अनुदान	**704.58**	**637.75**	**656.76**
ग. वस्तु अनुदान सहायता	**24.09**	**88.66**	**41.06**
(i) खाद्य	...	...	...
(ii) अन्य 24.09	88.66	41.06	
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**9857.90**	**11221.18**	**12160.92**
ङ वापसी-अदायगी			
(i) ऋण 9173.37	9920.39	9598.25	
(ii) न्यास निधि	...	...	...
(iii) विशेष ऋण	...	...	...
च. जोड़ 9173.37	**9920.39**	**9598.25**	
छ. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगियां घटाकर)	**684.53**	**1300.79**	**2562.67**
ज. ब्याज अदायगियां			
(i) ऋण 4357.29	4482.73	4458.34	
(ii) न्यास निधि उधार	...	...	...
(iii) विशेष ऋण	...	...	...
झ. जोड़ 4357.29	**4482.73**	**4458.34**	
ञ. विदेशी सहायता			
(वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर)	-3672.76	-3181.94	-1895.67
** इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।*	*661.20*	583.12	699.75

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई हैं तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

I. भारत को आस्ट्रेलियाई विकास सहायता

अक्तूबर, 1990 में आस्ट्रेलिया सरकार के साथ द्विपक्षीय सहयोग संबंधी दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये थे : (i) विकास सहयोग संबंधी करार तथा (ii) लघु कार्यकलाप प्रणाली संबंधी समझौता ज्ञापन। भारत को आस्ट्रेलियाई सहायता उपरोक्त करारों के तत्वावधान के अंतर्गत दी गई है।

2. भारत के लिए समुद्रपारीय विकास सहायता व्यय (पिछले वर्षों के लिए) का विवरण तथा दृष्टिकोण (चालू वर्ष) निम्नानुसार हैः

(मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर)

वर्ष	संवितरण राशि
1993-94	15.8
1994-95	20.4
1995-96	24.6
1996-97	21.7
1997-98	20.2
1998-99	19.2
1999-2000	18.7
2000-2001	19.3

3. यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों, जिनमें आस्ट्रेलिया के पास विशेषज्ञता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रौद्योगिकी है, में पारस्परिक लाभदायक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए हमारी प्राथमिकता प्राप्त विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत की सहायता के लिए अभिकल्पित है। चालू विकास सहयोग परियोजनाएं निम्नानुसार हैंः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	*(राशि मिलि. आस्ट्रेलियाई डालर में)*
1.	रेलवे प्रौद्योगिकी परियोजना	5.455
2.	अपशिष्ट जल प्रबंध परियोजना, हैदराबाद	7.293
3.	घाट शिला प्रदावक काम्पलेक्स विकास (संयंत्र 'क')	4.033
4.	यूनीसेफ के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा संवृद्धि परियोजना	10.400
5.	बाल उत्तरजीवन और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (यूनीसेफ)	7.320
6.	खान सुरक्षा महानिदेशक	2.600
7.	बंगलौर जलापूर्ति और पर्यावरण जल-मल व्ययन मास्टर प्लान परियोजना	7.524
8.	भारत आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना	15.000

II. बेल्जियम

बेल्जियम 1962-63 से वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। तथापि, समय के साथ-साथ सहायता की यात्रा कुछ कम होती गई है।

2. 250 मिलियन बेल्जियाई फ्रांक के लिए बेल्जियाई सरकार के साथ बीसवें सरकार से सरकार को ऋण करार पर 30.3.1993 को हस्ताक्षर किए गए। बेल्जियाई सरकार ने अगस्त, 2000 में कलकत्ता में एक मेडिकल साइक्लोट्रोन की स्थापना के लिए 129.514 मिलि. बेल्जियाई फ्रांक की सहायता प्रदान की है।

III. कनाडा

कनाडा भारत को 1951 से सहायता प्रदान कर रहा है। कनाडियन विकास सहायता इसकी एजेंसी अर्थात कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सिडा) के माध्यम से दी जाती है। 31 मार्च 1986 तक कनाडियन सहायता ऋण और अनुदान के रूप में थी। 1 अप्रैल, 1986 से सिडा सहायता पूर्णतया अनुदान के रूप में है।

2. भारत के लिए "सिडा" के देशीय नीति कार्यक्रम के तीन मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः-

(i) भारत में आर्थिक और सामाजिक नीति सुधारों का संवर्द्धन करना।

(ii) पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ विकास का संवर्द्धन करने के लिए भारत की क्षमता में अंशदान करना।

(iii) भारत और कनाडा के निजी क्षेत्रों के बीच सुदृढ़ आर्थिक संबंधों के निर्माण में सहायता करना।

"सिडा" के कार्यक्रम मानवीय प्रकृति की परियोजनाओं पर केन्द्रित हैं जो गरीबी कम करने, लिंग समानता, पर्यावरण, मानवीय अधिकारों और बाल श्रम पर आधारित है।

3. इस समय 13 "सिडा" सहायता प्राप्त द्विपक्षीय परियोजनाएं जारी हैं। इनमें वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना, भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना, राजस्व प्रशासन काक्षमता विकास परियोजना, ऊर्जा आधारभूत सेवाएं परियोजना, संस्थागत उद्योग सम्पर्क परियोजना और पर्यावरण संस्थागत सुदृढ़ता परियोजना शामिल हैं।

4. 1999-2000 के दौरान, भारत सरकार के बजट के जरिए "सिडा" अनुदान सहायता का कुल संवितरण 6.45 करोड़ रु. था।

IV. डेनमार्क

भारत 1963 से डेनिश सहायता प्राप्त करता रहा है। 31.12.2000 तक डेनमार्क ने कुल 5273.14 मिलि. डेनिश क्रोनर की राशि देने का वचन दिया है जिसमें ऋण और अनुदान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 2000-2001 के दौरान (दिसम्बर '2000 तक) डेनमार्क सरकार ने नए करारों के जरिए 28.30 मिलियन डेनिश क्रोनर (15.74 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने का वचन दिया है जिस पर कृषि (कर्नाटक में महिला और युवा प्रशिक्षण और विस्तारण परियोजना, चरण- III) के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए 18.30 करोड़ रु. के अनुमानित प्राप्ति बजट की एवज में भारत सरकार के खाते में अक्तूबर, 2000 तक डेनमार्क सरकार से कुल 15 करोड़ रु. प्राप्त किए गए हैं।

2. डेनिश सहायता मुख्य रूप से विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित और स्थानीय लागत परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध अनुदानों के रूप में है। यह परियोजनाएं मुख्यतः उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में गरीबी उन्मूलन के लिए हैं। तकनीकी सहायता भी अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडी) भी डेनिश और भारतीय व्यापार उद्यमों के बीच दीर्घावधिक सहयोग का समर्थन करने के लिए प्रचालनाधीन है।

V. जर्मन संघीय गणराज्य

जर्मनी भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय यूरोपीय दाता है। जर्मनी ने 1998 में 22.5 मिलियन डयूश मार्क और 1999 में 20.2 मिलियन डयूश मार्क की तकनीकी सहायता प्रदान की। नई वचनबद्धता के लिए किसी नई परियोजना के बारे में विचार नहीं किया गया। जारी परियोजनाएं इस से प्रभावित नहीं हुई हैं और पिछली वचनबद्ध परियोजनाओं के संबंध में करारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. 2000-2001 के दौरान, नवम्बर, 2000 तक कुल सहायता संवितरण राशि 116.35 मिलियन ड्यूश मार्क (टी सी को छोड़कर) है। इस राशि में 85.16 मिलियन ड्यूश मार्क की वह राशि भी शामिल है जो बिना मध्यस्थता वाली परियोजनाओं के संबंध में के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा कार्यान्वित एजेन्सियों को सीधे ही संवितरित की गई है। 1999-2000 के दौरान 194.69 मिलियन ड्यूश मार्क के लक्ष्य की तुलना में सहायता संवितरण (टी सी को छोड़कर) 194.96 मिलियन ड्यूश मार्क (445.07 करोड़ रुपए) था।

3. जर्मन सरकार ने वित्तीय सहयोग के तहत 159 मिलियन डयूश मार्क (अनुदान सहित) और नई वचनबद्धताओं के द्वारा तकनीकी सहायता तथा वर्ष 2000 के लिए पूर्व वचनबद्धताओं को पुनः कार्यक्रमबद्ध करने के जरिए 19 मिलियन डयूश मार्क का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

VI. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से आर्थिक सहायता दे रही है और अप्रैल, 1968 से मार्च 2000 तक कुल वचनबद्ध फ्रांसीसी सहायता 15443.86 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक बैठती है। मिश्रित ऋण के रूप में फ्रांसीसी सहायता का उपयोग विद्युत, कोयला, रेलवे, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और खनन, कृषि, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि के लिए किया गया है।

2. फ्रांसीसी सहायता फ्रांसीसी सामान एवं सेवाओं के आयात के लिए है। अनुदान सहायता कुछेक कम मूल्य वाली तकनीकी सहयोग परियोजनाओं के लिए सीमित है। फ्रांसीसी सहायता मुख्यतः उदार शर्तों पर राजकोषीय ऋण सहित और निर्यात ऋण के रूप में ओ.ई.सी.डी की ब्याज की रियायती दरों पर है। 68.8 मिलियन फ्रासींसी फ्रांक के लिए अंतिम भारत-फ्रांस प्रोटोकोल 23.11.98 को हस्ताक्षरित किया गया था।

3. जहां तक संवितरण का संबंध है, वर्ष 1999-2000 (अर्थात नवम्बर, 1999 में) के दौरान दी गई 96.99 फ्रांसीसी फ्रांक (65.93 करोड़ रु.) की धनराशि का उपयोग किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर, 2000 तक 44.50 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक (27.30 करोड़ रु.) की राशि संवितरित की गई है।

4. नई फ्रांसीसी नीति के अनुसार वार्षिक प्रोटोकोल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और जब कभी दोनों पक्षों को स्वीकार्य परियोजनाएं उपलब्ध होती हैं, सहायता मामलों का निर्णय किया जाता है।

VII. इटली

इटली से प्राप्त सहायता विशेष योजनाओं के लिए है तथा यह सामान्यतः इतालवी वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण से संबद्ध है।

2. जून, 1996 की भारत-इतावली सहयोग बैठक के दौरान, इतावली पक्ष ने 100 बिलियन लीरा की समग्र राशि के एक उदार शर्त वाले ऋण की वचनबद्धता की है जिसमें से 50 बिलियन लीरा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्तियों को वित्तपोषित करने के लिए एक खुली ऋण श्रृंखला स्थापित करने तथा भारतीय छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सम्बन्धित तकनीकी सहायता स्थापित करने के प्रति समर्पित होंगे। 21.3.2000 को इस ऋण श्रृंखला के लिए एन एस आई सी द्वारा 10 बिलियन लीरा की पहली किश्त के लिए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। त्रऋण श्रृंखला 17.7.2000 से प्रचालन में है और 16.7.2001

तक वैध है। बाकी राशि निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त की जाएगी (क) जल-शोधन (ख) सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के साथ पर्यावरणीय संरक्षण और बुनियादी ढांचा और (ग) मध्यम उद्यम विकास। उदार शर्त वाला ऋण अत्यधिक रियायती (80 प्रतिशत अनुदान तत्व) होगा।

3. 1981 में समाप्त हुए सामान्य सहयोग करार के तहत इटली सहबद्ध आधार पर तकनीकी सहायता अनुदान उपलब्ध कराने पर भी सहमत हो गया है। 1999 में इटली ने भारत को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत बाल और मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए बाल श्रम के उन्मूलन और अक्षम लोगों के लिए स्थानीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहयोग परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 15.4 बिलियन लीरा का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया था।

VIII. जापान

जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सहायता दाता है। जारी परियोजनाओं के लिए 2001-2002 के दौरान सम्भावित संवितरण निम्नानुसार होगाः

जे बी आई सी (पूर्व ओ ई सी एफ)	2900 करोड़ रुपए
अनुदान-सहायता	40 करोड़ रुपए

2. जापान सामान्यतया वार्षिक आधार पर लगभग 3-4 बिलियन रुपए का सहायता अनुदान भी देता है। जापानी ऋण राहत अनुदान सहायता जो जापानी प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं हुई है, के तहत वैयक्तिक आयात हो रहे हैं। चालू आयातों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैंः

संगठन	*राशि (करोड़ रु.)*
एन एच ए आई	4.00
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार	10.00
ई पी टी आर आई	2.48
बंगलौर शहर निगम	4.00
पंजाब राज्य टयूबवेल कारपोरेशन लि.	9.84
क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, तिरूवनंतपुरम	5.00
कमला नेहरु अस्पताल, इलाहाबाद	0.23
इन्द्रप्रस्थ कालेज, दिल्ली	2.00
एन ई ई पी सी ओ	9.50
30.9.2000 तक पहले ही संवितरित	15.14
जोड़	**62.19**

IX. अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि

अरब आर्थिक विकास कुवैत निधि से भारत को 1976 से आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक निधि से कुल 92.30 मिलियन कुवैती दीनार के कुल मूल्य के आठ ऋण प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च 2000 तक ऋणों का कुल उपयोग 82.353 मिलियन कुवैती दीनार है। ये ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हैंः

	(मिलियन कुवैती दीनार)
(क) कालीनदी पन-बिजली परियोजना चरण-I	15.00
(ख) कोपिली पन-बिजली परियोजना	9.40
(ग) अनपारा तापीय बिजली परियोजना चरण-I	16.00
(घ) अनपारा तापीय विद्युत परियोजना (कोयला परिवहन) चरण-II	9.00
(ड.) थाल उर्वरक परियोजना	14.30
(च) दक्षिण बेसिन परियोजना	14.60
(छ) कालीनदी जल विद्युत परियोजना चरण-II	7.00
(ज) झींगा उत्पादन हेतु केरल मछली पालन विकास परियोजना	7.00
जोड़	**92.30**

2. अब तक (क), (ग) (घ) और (ड.) पर उल्लिखित ऋणों का पूरी तरह से उपयोग हो चुका हैं और कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए मात्र 8.938 मिलियन कुवैती दीनार मात्र और दक्षिण बेसिन परियोजना के लिए केवल 11.615 मिलियन कुवैती दीनार की ऋण राशि निकाली गई है और ऋण खातों को बन्द कर दिया गया है। झींगा पालन के लिए केरल मत्स्यपालन विकास परियोजना, ऋण खातों को 1998 में बन्द कर दिया गया है। इस परियोजना के अधीन उपयोग केवल 0.538 मिलियन कुवैती दीनार है।

3. ऊपर उल्लिखित आठ ऋणों में से क्रम संख्या (क) से (च) तक के ऋणों पर ब्याज की दर 3.5 प्रतिशत और सेवा प्रभार 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा। (छ) और (ज) के ऋणों पर 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज और सेवा प्रभार 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा। पहले पांच ऋणों की वापसी-अदायगी की अवधि प्रारंभिक 5 वर्षों की छूट अवधि सहित 25 वर्ष है। दक्षिण बेसिन परियोजना के ऋण की वापसी-अदायगी अवधि 20 वर्षों की है जिसमें 4 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। (छ) और (ज) के ऋणों की वापसी-अदायगी अवधि 20 वर्षों की है जिसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल है।

X. नीदरलैंड

नीदरलैंड भारत को वर्ष 1962-63 से ही सामान्य प्रयोजन ऋण, ऋण सुविधा सहायता, आपूर्तिकर्ता ऋण (वित्तीय निर्यात ऋण) तथा अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह अनुदान मूल रूप से स्थानीय लागत व्यय तथा तकनीकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता हैं।

2. क्षेत्र, जिनमें नीदरलैंड की सहायता प्राप्त की जाती है वे पर्यावरण, पेय जलापूर्ति, सिंचाई और जल परिवहन, शिक्षा और कृषि क्षेत्र है।

3. पहले नीदरलैंड सरकार ने वार्षिक नकदी उच्चतम सीमा के तहत सहायता प्रदान की। वर्ष 1991 तक, 200 मिलियन एन एल जी धनराशि की वचनबद्धता हुई है जो ऋणों और अनुदानों में लगभग 50:50 के आधार पर वितरित की गई है। ऋण की वापसी 8 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्षों में की जानी थी और जो 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर की गई। वर्ष 1992 से अब तक, सहायता पूरी तरह से अनुदानों के रूप में है तथा पूर्ववर्ती ऋण वचनबद्धता के एवज में शेष अनुदान निधियों से संवितरित की जानी है।

4. 1999-2000 के दौरान किया गया संवितरण 65.611 मिलियन एन एल जी (लगभग 133.38 करोड़ रुपए) था। नीदरलैण्ड सरकार ने 1996 के पश्चात वृहत आर्थिक सहायता का विस्तार बन्द कर दिया है। 2000-01 के दौरान (अप्रैल-नवम्बर) संवितरण 30.267 मिलियन एन एल जी (56.209 करोड़ रुपए के बराबर) रहा है।

5. नीदरलैंड सरकार ने प्रत्येक परियोजना के कुल लागत के 40% तक नीदरलैंड से चुनिन्दा पूंजीगत वस्तुओं के आयात करने हेतु लागत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को ओ आर ई टी अनुदान भी उपलब्ध कराए हैं।

6. नीदरलैंड सरकार की नीति में हाल के परिवर्तनों के कारण डच सहायता अब से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और केरल राज्यों में केन्द्रित होगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना दृष्टिकोण के स्थान पर विकास सहयोग की क्षेत्रवार नीति अपनाई जाएगी। क्षेत्रों का चुनाव आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाएगा।

XI. नार्वे

नार्वेजियाई सरकार द्वारा विस्तारित सहायता नार्वेजियाई विकास सहयोग एजेंसी (नोराड) के माध्यम से है। नार्वेजियाई सहायता अनुदान के रूप में है।

2. **सहयोग के क्षेत्रः** इससे पहले नार्वेजियाई सहायता सामाजिक क्षेत्रों पर संकेन्द्रित थी। वर्ष 1990 में नार्वेजियाई सरकार ने भारत को दी जा रही सहायता को धीरे-धीरे कम करने और अपना ध्यान औद्योगिक क्षेत्र पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया। वे लगातार महिला एवं पर्यावरण विकास से संबंधित मुद्दे को प्राथमिकता देते रहे।

3. **भारत के लिए नार्वेजियाई सहायता नीतिः** भारत को सहायता देने की नार्वेजियाई सरकार की नीति में वर्ष 1991-92 से बहुत अन्तर आया है। विगत में, भारत को आवंटित सहायता का लगभग 60 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन के लिए होता था। तथापि, उन्होंने अब इन क्षेत्रों से हटकर अपना ध्यान केवल संस्थागत सहयोग और अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर संकेन्द्रित किया है। लेकिन वे पर्यावरण क्षेत्र और महिला विकास के लिए अपनी सहायता देना जारी रखेंगे। भारत को नार्वेजियाई सहायता की मात्रा वर्ष 1990 में दी गई सहायता से घटकर लगभग एक-तिहाई रह गई है। वर्ष 1990 के 140 मिलियन एन ओ के की तुलना में 1995 में यह 45 मिलियन एन ओ के थी। नार्वे की नई सहायता नीति के तहत वर्ष 1995 के बाद से भारत की स्थिति एक कार्यक्रम देश की नहीं रही है। वर्ष 1996 से भारत को देश कार्यक्रम (कंट्री प्रोग्राम) के तहत कोई आंबटन नहीं किया जा रहा है। उन परियोजनाओं के संबंध में जिनके लिए करार पहले ही हस्ताक्षरित हो चुके हैं, देश कार्यक्रम के तहत नार्वेजियाई सरकार द्वारा की गई सभी वचनबद्धताओं को पूरा किया जाएगा। नार्वे देश ढांचे (कंट्री फ्रेमवर्क) से परे हट रहा है अर्थात वे निधियों का निर्धारण देशवार नहीं करेंगे बल्कि विश्वव्यापी निधियां रखेंगे जो सभी देशो को उपयुक्त योजनाओं के लिए प्राप्त हो सकती हैं।

हाल ही में नार्वेजियाई सरकार द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है कि भारत के साथ विकास सहयोग के लिए नार्वेजियाई संसद द्वारा अपनाए गए नए दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में शिक्षा, बाल श्रम और पर्यावरण प्राथमिक क्षेत्र होंगें। भारत को आवंटनों का वित्तपोषण 'नोराड' की एशियाई क्षेत्रीय निधि द्वारा किया जाएगा। उत्पादक क्षेत्र परियोजनाओं को क्रमिक रूप से चरणबद्ध किया जाएगा। औद्योगिक विकास सहयोग की विश्वव्यापी निधि का उपयोग भारत भी कर सकेगा, जिसमें मिश्रित ऋण योजनाओं का वित्तपोषण और निवेश सहायता शामिल होंगें।

4. **नार्वेजियाई सहायता का संवितरणः** नार्वे द्वारा 1996 के बाद से भारत विकास मंच (आई डी एफ) में किसी राशि का वचन नहीं दिया गया। 12.07 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, 1998-99 के दौरान नार्वेजियाई सहायता का कुल संवितरण 13.53 करोड़ रुपए था। 4.75 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 4.59 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में, 1999-2000 के दौरान भारत सरकार के बजट के माध्यम से नार्वेजियाई सहायता का कुल संवितरण 7.25 करोड़ रुपए है।

XII. अरब आर्थिक विकास के लिए अबूधाबी निधि

गढ़वाल, ऋषिकेश चिल्ला पन-बिजली परियोजना, उ.प्र. के लिए अबूधाबी निधि से 68 मिलियन दीनार (15 मिलियन अमरीकी डालर) का ऋण प्रदान किया गया है। ऋण की सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है। इस ऋण पर 3.5 प्रतिशत की ब्याज दर और 0.5 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगेगा। इसकी वापसी-अदायगी अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 15 वर्ष थी।

XIII. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की निधि (ओपेक)

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक निधि की स्थापना तेल निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्यो में आर्थिक सहायता प्रदान करके ओपेक सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी।

2. ओपेक निधि ने अब तक कुल मिलाकर 218.800 मिलियन अमरीकी डालर के चौदह ऋण दिए हैं। 31 मार्च 2000 तक ऋणों का कुल उपयोग 188.817 मिलियन है। ये ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हैं :

	(मिलियन अमरीकी डालर)
(1) भुगतान शेष सहायता	21.800
(2) मुम्बई हाई अपतट विकास परियोजना	14.000
(3) कोरबा ताप विद्युत परियोजना	20.000
(4) रामागुन्डम ताप विद्युत परियोजना, चरण-–II	20.000
(5) दूसरी मुम्बई हाई अपतट परियोजना	30.000
(6) दूसरी रामागुन्डम ताप विद्युत परियोजना	30.000
(7) रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना	22.500
(8) उर्वरक परियोजनाओं का पुनर्वास	7.000
(9) नाबार्ड को ऋण श्रृंखला	8.000
(10) रीवा अस्पताल परियोजना, म. प्र.	10.000
(11) बस्ती जिला अस्पताल परियोजना	6.500
(12) रायचूर जिला अस्पताल परियोजना	9.000
(13) केरल वर्षासिंचित फसल विकास परियोजना	10.000
(14) शिमला मलजल सफाई परियोजना	10.000
जोड़	**218.800**

XIV. सऊदी विकास निधि

विकासशील देशों में विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सऊदी विकास निधि की स्थापना की गई थी जो स्वायत्तता प्राप्त कानूनी संस्था है; जिसने अब तक 769.200 मिलियन सऊदी रियाल की कुल राशि के चार ऋण दिए हैं। 31 मार्च, 2000 तक ऋणों का कुल उपयोग 630.915 सऊदी रियाल है। ये ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हैं:-

	(सऊदी रियाल मिलियन में)
(क) श्रीसेलम नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना	353.000
(ख) कोरापुट-रायगढ़ रेलवे परियोजना	103.200
(ग) रामागुण्डम तापीय विद्युत परियोजना	172.000
(घ) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास परियोजना (न्हावा शेवा पत्तन परियोजना)	141.000
जोड़	**769.200**

2. श्रीसेलम नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना के लिए 350.442 मि. सऊदी रियाल, रामगुंडम ताप बिजली परियोजना चरण II के लिए 93.786 मिलियन स.रि. और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास परियोजना के लिए 108.570 मिलियन सऊदी रियाल का ऋण प्राप्त किया गया है और ऋण खाते बन्द कर दिए गए हैं। ऊपर (ख) पर दी गई परियोजना पर काम चल रहा है।

3. जबकि पहले और चौथे ऋण पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा, दूसरे और तीसरे ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा । इन सभी ऋणों का आरम्भिक 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में भुगतान किया जाना है।

XV. स्वीडिश सहायता

भारत वर्ष 1964 से स्वीडिश सहायता प्राप्त करता रहा है हालांकि स्वीडन भारत सहायता संघ का पूर्ण रूप में सदस्य वर्ष 1969 में ही बना। स्वीडिश सहायता की शर्तें कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर उदार हुई हैं। वर्ष 1976 के बाद स्वीडिश सहायता 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में है और मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र तथा ऊर्जा क्षेत्र पर केन्द्रित हैं। अनुदान सहायता के अलावा, स्वीडिश सरकार ने बड़ी विद्युत परियोजनाओं को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया है। इससे पहले, स्वीडन विकास सहयोग के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.91 प्रतिशत आवंटित किया करता था। गत वर्ष यह घट कर उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत रह गया। लेकिन इसका उद्देश्य, स्वीडिश अर्थव्यवस्था की अनुमति मिलते ही सकल निवल उत्पाद के एक प्रतिशत तक के स्तर की प्राप्ति करना है। स्वीडिश औद्योगिक विकास एजेंसी (सीडा) को अनुदान सहायता और अन्य स्वीडिश संगठनों से प्राप्त रियायती ऋणों को ध्यान में रखते हुए, स्वीडिश सहायता बजट में कटौती के बावजूद भारत न केवल एशियाई देशों के बीच बल्कि अफ्रीकी एवं लेटिन अमरीकी देशों के बीच स्वीडिश सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश हो गया है।

2. **भारत-स्वीडिश विकास सहयोग की नीति (1997-99)**- दिनांक 28.11.96 के नए विकास सहयोग करार में शामिल वर्ष 1997 से 1999 तक के तीन वर्षों की अवधि की भारत स्वीडिश विकास सहयोग की नीति गरीबी उन्मूलन और आधारढांचे पर केन्द्रित हैं :-

स्वीडिश सहायता के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

i) प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में गरीबी उन्मुख परियोजनाएं एवं कार्यक्रम;

ii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंध सहित पर्यावरण और आधुनिक/औद्योगिक/शहरी क्षेत्र;

iii) ऊर्जा की बचत तथा ऊर्जा संसाधनों के और अधिक सक्षम प्रयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र;

iv) परामर्शदायी निधि;

v) भारत और स्वीडन के बीच अनुभवों और सुविज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने वाले कार्यकलाप।

स्वीडन ने अपनी सहायता मुख्यतया तमिलनाडु, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश राज्य पर केन्द्रित की है। नवम्बर, 1996 में आयोजित वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष ने यह संकेत दिया है कि स्वीडिश सहायता जहां तक सम्भव हो सके, अधिक राज्यों को प्रदान की जानी चाहिए। इस पर पुनः फरवरी 1998 में आयोजित वार्षिक पुनरीक्षा बैठक के दौरान चर्चा की गई और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि कतिपय भौगोलिक विस्तार पर दूतावास द्वारा नई परियोजनाएं शुरू करते समय और उनकी पहचान करते समय विचार किया जाएगा।

3. **स्वीडिश सहायता का संवितरणः** 39.17 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 1998-99 के दौरान स्वीडिश सहायता का कुल संवितरण 40.57 करोड़ रुपए था। 3.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 17.75 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में सरकार के 1999-2000 के दौरान बजट के माध्यम से स्वीडिश सहायता का कुल संवितरण 30.74 करोड़ रुपए था।

XVI. स्विटजरलैण्ड

स्विटजरलैण्ड सरकार भारत को 1964 से सहायता प्रदान करती रही है। वर्तमान में, स्विस सहायता स्थानीय लागत/तकनीकी सहायता के रूप में उपलब्ध है। यह सहायता अनुदानों के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है जो स्विस विकास निगम अभिकरण (एस डी सी) के माध्यम से सरणीकृत की जाती है।

2. भारत में स्विस सहायता की क्षेत्रवार प्राथमिकता उन्नत भूमि प्रयोग, दुग्धपालन और पशुपालन, ग्रामीण कुटीर उद्योग, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं।

XVII. यूनाइटेड किंगडम

भारत ब्रिटिश विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। द्विपक्षीय सहायता 1975 से अब तक पूर्ण रूप से अनुदानों के रूप में आती है। यू.के. की सहायता एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग है जो विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफ.सी.ओ.) का एक भाग है और जिसकी अध्यक्षता विदेश विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है।

2. यू. के. से सहायता विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, स्लम सुधार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कोयला, ऊर्जा क्षमता (विद्युत) और वानिकी, में पारस्परिक सहमत परियोजनाओं के लिए होती है। सहायता निम्नलिखित रूपों में आती हैः—

(क) **सहबद्ध अनुदान सहायताः**— यह विशेष परियोजनाओं के लिए ब्रिटिश मूल की वस्तुओं और सेवाओं के लिए है,

(ख) **स्थानीय लागत अनुदानः**— जो कि इस समय मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यक्रमों के लिए दी जाती है।

(ग) **तकनीकी सहायता अनुदानः**— जिसके माध्यम से परियोजना संबंधी और सामान्य परामर्शी सेवाओं, प्रशिक्षण और आयातों का वित्तपोषण किया जाता है।

3. यू.के के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग ओ डी ए सहायता को मार्ग-दर्शित करने वाले वास्तविक रूप से उदार सिद्धांतों पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। यू.के. हमारा सबसे बड़ा अनुदान दाता है और इस सहायता का बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में स्थानीय लागत संबंधी व्यय के लिए जाता है।

4. 2000-2001 के दौरान अक्तूबर, 2000 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 253.448 मिलियन पौंड मूल्य के अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(i)	यूके/भारत वानिकी प्रशिक्षण परियोजना	1.080 मिलि.£
(ii)	पं. बंगाल डी पी ई पी विस्तार-चरण	33.006 मिलि.£
(iii)	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम ए.पी.एल.सी.जी.	20.570 मिलि.£
(iv)	लोक जुम्बिका चरण III	34.430 मिलि.£

XVIII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य द्वारा यू एस ए आई डी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है। 2000 के अंत तक संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदान की गई सहायता की कुल राशि 11197 मिलियन अमरीकी डालर है।

2. अमरीकी राजकोषीय वर्ष जो 30 सितम्बर 2000 को समाप्त हुआ था, के लिए प्राधिकृत यू एस ए आई डी की विकास सहायता 24.570 मिलियन अमरीकी डालर राशि की थी और इसमें निम्नलिखित 8(आठ) संशोधनात्मक करार शामिल हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुदान राशि मिलियन अमरीकी डालर	संशोधित करार की तारीख
1.	ए.पी.ए.सी.	2,100	15.9.2000
2.	पी.ए.सी.टी	2,900	15.9.2000
3.	एफ.आई.आर.ई.	1,200	15.9.2000
4.	एफ.आई.आर.ई.	3,500	27.9.2000
5.	जी.ई.ई.पी	1,000	28.9.2000
6.	आई.एफ.पी.एस.	9,670	4.8.2000
7.	टी ए एस पी	1,000	29.9.2000
8.	ई सी ओ	3,200	22.9.2000

पी.एल.480 शीर्षक II कार्यक्रम के अधीन, 96.859 मिलियन अमरीकी डॉलर की वस्तु सहायता (मालभाड़े सहित) अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2000 (अक्तूबर 99-सितम्बर 2000) के दौरान यूएसएआईडी द्वारा संवितरित की गई है।

XIX. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

आईबीआरडी अपना अधिकांश धन अपने सदस्यों से शेयर पूंजी अभिदानों की गारंटी के आधार पर विश्व वित्तीय बाजारों में जारी बांडों और अन्य ऋण प्रतिभूतियों से जुटाता है। बैंक निधि के अन्य स्रोत शेयरधारकों की पूंजी और धारित अर्जन हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ऋण रियायती न होते हुए भी वाणिज्यिक स्रोतों की अपेक्षा उदार शर्तों पर उपलब्ध हैं। इस समय वापसी-अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। भारत इस समय परिवर्तनीय विस्तार आधार पर एकल मुद्रा अमरीकी डालर ऋण प्राप्त कर रहा है। ऐसे ऋणों में ब्याज दर परिवर्तनीय है और बैंक के स्वयं की उधार निधियों और इसके लाभांश के प्रति 75 आधार के अनुसार इसमें अर्द्धवार्षिक रूप से संशोधन किया जाता है। ब्याज की वर्तमान दर एकल करेंसी ऋण के लिए 6.99+0.41 प्रतिशत और बहुल करेंसी ऋण के लिए 5.36 प्रतिशत है। असंवितरित शेष पर प्रतिबद्धता प्रभार इस समय 0.75 प्रतिशत है। ऋण राशि के 1 प्रतिशत का फ्रंट एंड शुल्क भी देय है तथापि 0.15 से लेकर 0.25 प्रतिशत तक ब्याज माफी विश्व बैंक ऋणों की समय पर वापसी अदायगी के लिए अनुमेय है। जून, 2000 की स्थिति के अनुसार आई बी आर डी की संचयी ऋण देयता 26.10 बिलियन अमरीकी डालर है।

2. 31.12.2000 तक आई.बी.आर.डी. द्वारा ऋण के रूप में वचनबद्व की जाने वाली सहायता, जिनके लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे, का कुल मूल्य इस वर्ष 23.854 मिलियन अमरीकी डालर है। ये वचनबद्धताएं विद्युत, ऊर्जा, दूरसंचार और राष्ट्रीय राजमार्ग आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में हैं।

3. वर्ष 2000 (31 दिसम्बर, 2000 तक) में निम्नलिखित नई परियोजनाओं के लिए 1189 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के ऋण सहित, ऋण राशि करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	करार की तारीख
1.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्रक पुर्नसंरचना परियोजना	150.00	19.05.2000
2.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	80.00	11.08.2000
3.	दूर संचार क्षेत्र सुधार टीए	62.00	11.08.2000
4.	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	516.00	11.08.2000
5.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	381.00	18.10.2000
		1189.00	

XX. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

बैंक का सुलभ ऋण सहयोगी, आई डी ए अपने वित्तीय संसाधनों और पूर्व ऋणों से वापसी अदायगियों के लिए मुख्य रूप से अधिक धनी देशों द्वारा समय-समय पर किए गए अंशदानों पर निर्भर करता है।

2. आई डी ए बचनबद्धताएं, जिन्हें "ऋणों" के रूप में जाना जाता है, में 10 वर्ष की छूट की अवधि होती है और इसकी वापसी अदायगी 35 वर्ष में की जानी होती है। भारत को 30.06.87 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आई डी ए ऋणों में कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। असंवितरित शेषों पर वचनबद्धता प्रभार 0.5 प्रतिशत के न्यूनतम तक प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है।

3. भारत को आई डी ए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। 31.12.2000 को समाप्त हुई अवधि के लिए, आई डी ए ने लगभग 26,576 मिलियन डालर के कुल मूल्य के ऋण प्रदान किए हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रकों के लिए औद्योगिक आयातों और ऋणों के लिए गैर-परियोजनाओं के रूप में सहायता शामिल है। मुख्य क्षेत्र जिनके लिए सहायता दी जाती है, ऊर्जा, गरीबी, ग्रामीण जल आपूर्ति, टीकाकरण, सुदृढ़ीकरण और शिक्षा आदि है।

4. वर्ष 2000 (31 दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान आई डी ए ने निम्नलिखित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 962.00 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के ऋण प्रदान किए हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	करार की तारीख
1.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	30.00	11.08.2000
2.	तकनीकी सहायता	45.00	19.05.2000
3.	आ.प्र. जिला गरीबी अभिक्रम परियोजना	111.00	12.05.2000
4.	राज्य-जिला गरीबी अभिक्रम परियोजना	100.5	19.05.2000
5.	म.प्र. जिला गरीबी अभिक्रम	110.10	5.12.2000
6.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और ईएसपी	65.50	31.12.2006
7.	उ.प्र. - डी पी ई पी-III	182.40	23.2.2000
8.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणालियां विकास	110.00	19.05.2000
9.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	142.60	19.05.2000
10.	तकनीकी शिक्षा-III	64.90	18.10.2000
		962.00	

XXI. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

एशियाई विकास बैंक एक प्रमुख क्षेत्रीय संस्था है और भारत को इसमें प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ, भारत का एशियाई विकास बैंक के पूंजी भंडार में, सभी सदस्य देशों में से जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य के बाद चौथा सर्वाधिक अभिदान रहा है।

2. वर्ष 1966 में इस की स्थापना होने से लेकर, भारत ने स्वेच्छापूर्वक, एशियाई विकास बैंक से ऋृण नहीं लिया था। तथापि उन स्रोतों में, जिनसे हम विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, विविधता लाने के बारे में विचार किया गया और भारत ने एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1986 से ऋण लेना प्रारम्भ किया। 31.12.2000 तक एशियाई विकास बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के ऋणों के लिए अनुमोदित ऋणों का कुल मूल्य 9.04 बिलियन अमरीकी डालर था। एशियाई विकास बैंक द्वारा जिन क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान किए गए वे हैं मुख्य रूप से विद्युत, पेट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, सड़कें, दूर संचार, सामाजिक (शहरी विकास) क्षेत्र हैं। 2000 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ए डी बी द्वारा 1330 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(i) सूरत मैनोर टोलवे परियोजना (180 मिलियन अमरीकी डालर)

(ii) विद्युत संचरण सुधार (क्षेत्रक) परियोजना (250 मिलियन अमरीकी डालर)

(iii) आवास वित्त II परियोजना (300 मिलियन अमरीकी डालर) [हुडको 100 मिलियन डालर, आईसीआई सी आई-80 मिलियन डालर, एच डी एफ सी-80 मिलियन डालर और राष्ट्रीय आवास बैंक-40 मिलियन अमरीकी डालर]

(iv) गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (350 मिलियन अमरीकी डालर) [गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना ऋण के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर और गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम ऋण के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर]

(v) कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार परियोजना (250 मिलियन अमरीकी डालर)

XXII. रुसी परिसंघ

रुसी परिसंघ की सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित पूरक करार के अनुसार रुस ने कुदानकुलाम परमाणु बिजली परियोजना के निर्माण के लिए 2600 मिलियन अमरीकी डालर तक का राज्य ऋण देने पर सहमति दी है। 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सहायता का उपयोग क्रमशः 138.82 करोड़ रु. और 8.58 करोड़ रु. होने की आशा है।

XXIII. यूरोपीय समुदाय (ईसी)

यूरोपीय समुदाय 1976 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ई सी की सहायता पूर्णतः अनुदान के रूप में है और इसका प्रयोग रुपए तथा अभिज्ञात परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा लागत को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। विकास सहयोग के क्षेत्र में, 1976 से ईसी के वित्तीय और तकनीकी सहायता का संचयी योग लगभग 2 बिलियन यूरो है।

2. ई.सी. सहायता वाटर शेड प्रबन्धन, सिंचाई, वानिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं के लिए दी जा रही है। प्राथमिकता में परियोजना सहायता से सेक्टरवार निधिपोषण के रुप में बदलाव आया है। दो चालू क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) जिसमें कुल अंशदान 150 मिलियन यूरो (लगभग 675 करोड़ रुपए) है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसमें कुल अंशदान 200 मिलियन यूरो, लगभग 900 करोड़ रु. है। वर्ष 2000-01 में यूरोपीय समुदाय ने शिक्षा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नए क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए की वचनबद्धता की है। वित्तपोषण करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

3. नवम्बर 99 में भारत-यूरोपीय समुदाय उप आयोग की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति थी कि प्राथमिकता क्षेत्रक कार्यक्रमों को प्रदान की जानी चाहिए जिसमें पर्यावरण प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त एक नया केन्द्रीय क्षेत्र है। यूरोपीय समुदाय ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक सम्भाव्य नई वचनबद्धता की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस बात पर भी सहमति थी कि आम हित की प्राथमिकताएं एक कार्यशाला के निष्कर्ष के रूप में उभरेंगी जिसे पर्यावरण में यूरोपीय समुदाय-भारत सहयोग के अवसरों के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अप्रैल 2000 में आयोजित किया जाना था। ई सी पक्ष ने 17.11.2000 को ब्रुसेल्स में आयोजित भारत-ई सी उप-आयोग की बैठक में सूचित किया है कि वे 2001 में किसी समय कार्यशाला आयोजित करने के लिए एक एजेन्सी से सम्पर्क करने की प्रक्रिया में हैं।

4. इस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए ई सी सहायता का संवितरण 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार 3.220 मिलियन यूरो (लगभग 13.54 करोड़ रुपए) है।

XXIV. जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.)

वर्ष 2000-2001 के दौरान 0.31 करोड़ रुपए की वस्तु/नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है। 2001-2002 के दौरान 0.30 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सहायता की आशा है।

XXV. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को जो तकनीकी सहायता मिलती है, यह उपस्करों, विशेषज्ञों की सेवाओं, तथा विदेशों में भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के रूप में मिलती है।

2. वर्ष 2000-2001 के दौरान लगभग 14.89 करोड़ रुपए नकदी अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 17.62 करोड़ रुपए मूल्य की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

XXVI. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ)

अन्तर्राष्ट्रीय बाल विकास संगठन (आई.सी.डी.एस.) के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, डाक्टरों के प्रशिक्षण और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए नकद अनुदान सहायता प्राप्त की जाती है। नकद सहायता की कुल राशि का अनुमान 2000-2001 के लिए लगभग 0.50 करोड़ रुपए और 2001-2002 के लिए 1.05 करोड़ रुपए है।

XXVII. विश्व स्वास्थ्य संगठन

वर्ष 2000-2001 के दौरान 19.90 करोड़ रुपए तक की वस्तु सहायता प्राप्त होना अनुमानित है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान 15.70 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की आशा है।

XXVIII. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)

2001-2002 और 2001-2002 के दौरान 0.04 करोड़ रुपये तक का नकदी अनुदान प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

	प्राप्तियां			वापसी अदायगियां		
देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2000-2001	संशोधित अनुमान 2000-2001	बजट अनुमान 2001-2002	बजट अनुमान 2000-2001	संशोधित अनुमान 2000-2001	बजट अनुमान 2001-2002
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	1286.63	2416.55	2699.00	3269.60	3901.87	2938.00
आई. डी. ए.	3971.55	4079.41	4933.90	1662.19	1681.51	2025.23
आई. एफ. ए. डी.	71.20	55.31	63.58	25.15	24.87	27.30
ए. डी. बी.	971.48	1259.26	752.90	495.74	546.34	630.23
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	5.48	4.75	4.84
ओ. पी. ई. सी.	26.96	40.04	17.52	43.97	47.28	26.49
कुल (बहुपक्षीय)	**6327.82**	**7851.17**	**8466.90**	**5502.13**	**6206.62**	**5652.09**
द्विपक्षीय						
आस्ट्रेलिया	...	...	...	4.92	5.15	7.66
आस्ट्रिया	...	...	...	9.70	8.47	9.37
बेल्जियम	...	12.81	...	24.42	20.67	20.88
कनाडा	...	...	...	58.57	60.51	60.67
चेकोस्लोवाकिया	...	...	...	4.28	4.28	4.28
डेनमार्क	...	...	...	27.24	25.64	25.21
जर्मनी	50.60	28.85	50.60	558.57	495.17	475.12
फ्रान्स	42.32	41.30	36.71	219.24	188.49	198.46
इटली	...	...	...	73.62	71.61	84.85
जापान	2554.00	2411.32	2900.00	1348.88	1493.74	1726.70
कुवैत निधि	...	...	...	64.41	64.61	55.29
नीदरलैंड	10.00	...	...	214.96	190.42	184.75
सउदी निधि	10.50	10.50	10.00	11.95	17.63	7.23
स्वीडन	...	...	...	146.31	154.93	156.08
स्विटजरलैंड	...	...	...	24.07	22.76	18.90
स्पेन	...	...	...	17.56	18.32	18.96
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	607.60	630.32	649.26
रूसी संघ	133.99	138.82	8.59	254.94	241.05	242.49
कुल (द्विपक्षीय)	**2801.41**	**2643.60**	**2996.20**	**3671.24**	**3713.77**	**3946.16**
कुल जोड़	***9129.23***	***10494.77***	***11463.10***	***9173.37***	***9920.39***	***9598.25***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2000-2001	संशोधित अनुमान 2000-2001	बजट अनुमान 2001-2002
बहुपक्षीय			
आई. एफ. ए. डी.	5.00	...	...
आई. डी एफ अनुदान	...	8.03	10.00
स्विटजरलैंड अनुदान (आई डी ए)	2.00	1.00	...
आई वी आर डी जापानी अनुदान (डब्लयू बी)	11.09	5.93	2.15
आई डी ए जापानी अनुदान (डब्लयू बी)	...	8.84	0.00
द्विपक्षीय			
कनाडा			
डेनमार्क	1.00	1.00	6.00
फ्रांस	19.41	30.54	37.18
जर्मनी	3.37	2.20	1.33
जापान	97.78	54.04	114.51
नीदरलैंड	24.01	62.53	40.15
नार्वे	109.01	67.50	75.88
स्विटजरलैंड	6.43	14.07	9.00
यूनाइटेड किंग्डम	1.32	...	...
संयुक्त राज्य अमरीका	116.00	264.28	151.78
ई. ई. सी.	86.44	70.81	90.14
	156.00	100.00	124.99
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय			
यू. एन. एफ. पी. ए.	3.23	0.31	0.30
यू. एन. डी. पी.	39.65	14.89	17.62
यूनीसेफ	16.85	0.50	1.05
विश्व स्वास्थ्य संगठन	20.00	19.90	15.70
यूनेस्को	0.08	0.04	0.04
कुल जोड़	***728.67***	***726.41***	***697.82***